

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

राज्य स्वास्थ्य शिक्षा पदाधिकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना।

पटना, दिनांक : 15-3-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-113-लोक स्वास्थ्य प्रचार-0001 प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन विपत्र कोड - 20-2210061130001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते इकाईयो में कुल ₹ 14,00,000/- (चौदह लाख रू.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-06(7)ब दिनांक-27.04.17 एवं 75(7)ब दिनांक-25.09.17 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹14,00,000/- (चौदह लाख रू.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-113-लोक स्वास्थ्य प्रचार-0001 प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन विपत्र कोड - 20-2210061130001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबद्धित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-213(7) दिनांक-07.03.18) से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य स्वास्थ्य शिक्षा पदाधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमनानुकूल नियुक्ति पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।

3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।



8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन, 1

[Handwritten Signature]
15/3/18

(सचिवदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक : 154(7)9

पटना, दिनांक : 15-3-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी- 7/आइ0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

[Handwritten Signature]
15/3/18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध/ पुनर्विनियोग सहित	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	2935000	2435000	500000	2935000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	3790000	3190000	600000	3790000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	716000	516000	200000	716000	0
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	44000	34000	10000	44000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	42000	12000	30000	42000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	189000	129000	60000	189000	0
	योग 20-2210.06.113.0001.01-वेतन	7716000	6316000	1400000	7716000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	5000	0	0	0	5000
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	10000	5000	0	5000	5000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	5000	2500	0	2500	2500
10	विधि प्रभार (0001-13-05)	5000	2500	0	2500	2500
11	वर्दी/ पोषाक (0001-13-06)	5000	2500	0	2500	2500
12	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	100000	50000	0	50000	50000
	कुल	7846000	6378500	1400000	7778500	67500

[Handwritten Signature]
15/3/18

सरकार के विशेष सचिव

[Handwritten Signature]